

प्रेस नोट दिनांक-19.09.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री गुलाब त्रिपाठी के मार्गदर्शन में उ०नि० श्री कन्हैया बख्श सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मु०अ०सं० 149/2021 धारा 363/366/376/323/504/506 भादवि० व ¾ पॉक्सो एक्ट के वाँछित अभियुक्त सोनू पुत्र लल्लू निवासी पटपरहा मजरा खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ०नि० श्री कन्हैया बख्श सिंह थाना मऊ
2. आरक्षी इन्दल कुमार
3. आरक्षी आरविन्द्र मौर्या

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री रवि प्रकाश थाना बरगढ़ के मार्गदर्शन में उ०नि० श्री अर्पित पाण्डेय एवं उनकी टीम द्वारा मु०अ०सं० 57/21 धारा 387/504/506 के वाँछित अभियुक्त प्रभाकर द्विवेदी पुत्र स्व० राजनारायण द्विवेदी नि० डोडिया माफी थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त प्रभाकर द्विवेदी का अपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं०-47/17 धारा 147/352/504/506/427 भादवि० थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट
2. मु०अ०सं०-70/20 धारा 504/506 भादवि० थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट
3. मु०अ०सं०-57/21 धारा 387/504/506 थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ०नि० श्री अर्पित पाण्डेय थाना बरगढ़
2. आरक्षी करन कुमार
3. आरक्षी राहुल दीक्षित

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजय कुमार उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप के मार्गदर्शन में उ०नि० श्री सुख शेखर राही तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त आशीष त्रिपाठी पुत्र संतराम त्रिपाठी निवासी भारतपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 10 लीटर अवैध यूरिया मिश्रित शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में मु०अ०सं० 104/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि० पंजीकृत किया गया

बरामदगी:-

10 लीटर कच्ची अपमिश्रित शराब

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ०नि० श्री सुखसेखर राही थाना भरतकूप
2. आरक्षी जमुना प्रसाद

(4). आज दिनांक-19.09.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना मारकुण्डी श्री प्रमोद कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा श्री दीनदयाल सिंह, थाना मारकुण्डी एवं थाना बहिलपुरवा पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा थाना मारकुण्डी अन्तर्गत रूझौटा एवं छेरिहाखुर्द के जंगलों में कॉम्बिंग की गयी एवं प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा के नेतृत्व में थाना बहिलपुरवा पुलिस टीम ने ददरीमाफी के जंगलों में भी कॉम्बिंग की गयी।

(5). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल, विद्यालय एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति फेज-3” अभियान के तहत आज दिनांक 19.09.2021 को श्री धवल जायसवाल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में जनपद में समस्त थाना क्षेत्रों में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। जिसमें महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजार, कॉलेज, कोचिंग संस्थान व अन्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू०पी०-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बुलेन्स सेवा के बारे में जानकारीयाँ दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हैल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हैल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया।

इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनो से सार्वजनिक स्थलो यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।